न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः–18 / 2019
आर.सी.एम.एस. नं.:–2019 / 00036

1. विष्णु पुत्र किशनलाल जाति चायल (जीनगर) निवासी रतनसागर कुआं, बी –सेठिया गली, बीकानेर।

––वादी––

–बनाम–

1. विशना पुत्र मेघा जाति नायक थोरी निवासी गोगागेट, बीकानेर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व,बीकानेर।

––प्रतिवादीगण––

3. विजय पुत्र श्री किशनलाल जाति चायल (जीनगर) निवासी रतनसागर कुआं, बी–सेठिया गली, बीकानेर।
4. नारायण पुत्र श्री किशनलाल जाति चायल (जीनगर) निवासीर रतनसागर कुआं, बी–सेठिया गली, बीकानेर।

––प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण––

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955

अभिभाषक उपस्थितिः–

1. श्री राजेश व्यास अभिभाषक वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही ।
3. श्री उमाशंकर शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी सं. 3 व 4 ।

–:निर्णयः– दिनांकः– 24.01.2020

वाद पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने वाके ग्राम किश्मीदेसर पटवार क्षेत्र गगांशहर में खसरा नं.809 में 1.72 हैक्टेयर, खसरा नं.810 में 1.29 हेक्टेयर, खसरा नं.811 व 812 में 1.33 कुल 5.34 हेक्टेयर कृषि भूमि में से 3/4 यानि 16 1/2बीघा कृषि भूमि जरिये बैयनामा प्रतिवादी सं. 3 व 4 के साथ खरीद की गयी जो बैयनामा उपपंजीयक बीकानेर के यहां दिनांक 28.03.2018 को पंजीबध है।

2. उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में सीता देवी पत्नी झंवरलाल1/2 हिस्सा बिश्ना पुत्र मेघा जाति नायक थौरी 1/4 हिस्सा सीतादेवी पत्नी झंवरलाल 1/4 हिस्सा जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 में खसरा नं. 809 में 1.72 हेक्टेयर, खसरा नं. 810 में 1. 29 खसरा नं. 811 व 812 में 1.33 हैक्टेयर कुल 5.34 हेक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी ने प्रतिवादी सं. 3 व 4 के साथ सयुंक्त रूप से 3/4 हिस्सा जेठाराम पुत्र दुर्गा राम जाति मेघवाल से खरीद कर कृषि भूमि पर कब्जा प्राप्त कर अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज करवा लिया । वादी के साथ प्रतिवादी सं. 3 व 4 भी मौका पर सयुंक्त रूप से काबिज काश्त है। लेकिन वादगत भूमि सयुंक्त खाते की होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 को अपने हिस्से की भूमि को सुधारने व ऋण लेने की समस्या आती है। इसलिये वादी व प्रतिवादी सं. 3 व 4 अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

3. वादी व प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने प्रतिवादी सं. 1 को कई बार तहसील में चलकर कब्जे व हिस्सें के अनुसार विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादी सं. 1 टालमटोल करता रहा जबकि सम्पूर्ण कृषि पर वादी व प्रतिवादी सं. 3 व 4 का कब्जा

बैयनामा तहरीर व तकमील के दिन से ही है तथा प्रतिवादी सं 1 पूर्व से ही रेलवे लाईन की 5 बीघाभूमि पर काबिज है, परन्तु प्रतिवादी सं. 1 की नियत मे फर्क आ गया है और पूर्व में अपने –अपने हिस्से पर काबिज होने के पश्चात् भी वह सम्पूर्ण कृषि भूमि में काश्त को रोकने के उद्देश्य से तय हिस्से से इन्कार हो रहा है, फिर भी वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने प्रतिवादी सं. 1 को राजस्व तहसील चलकर पूर्व के अनुसार विभाजन को क्रियान्वन करवाने के लिये दिनांक 10.04.2019 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने प्रतिवादी संख्या 1 को विभाजन के लिये जोर देकर कहने पर प्रतिवादी स.1 ने वादगत भूमि का विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया तथा कहा कि मैं वादगत भूमि का विभाजन नहीं होने दूंगा व यदि वादी ने विभाजन का प्रयास किया तो मैं प्रतिवादी सं. 1 वादगत भूमि पर कब्जा कर वादी व प्रतिवादी सं. 3 व 4 को बेदखल कर दूगां, यहीं घटना विनाय दावा है। वादी व प्रतिवादी सं. 3 व4 के साथ सयुंक्त रूप से कृषि भूमि खरीदकर आज दिनांक तक सयुंक्तरूप सें काबिज काश्त चले आ रहे है तथा रिश्ते में भाई है। विभाजन केवल भाग प्रतिवादी सं. 1 से चाहा गया है। प्रतिवादी सं. 3 व 4 से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करना नहीं है, इसलिये वाद में प्रतिवादी सं. 3 व 4 को दर्शनिय पक्षकार बनाया गया है। अतः वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व डिक्री खाता बंटवारा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 इस आशय की जारी की जावें कि उक्त वादगत भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 3 व 4 का सयुंक्त रूप से 3/4 हिस्सा कृषि भूमि को कब्जे काश्त के अनुसार या बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावें।

4. इस वाद के पेश होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगणों को जरिये समन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 व 4 की तरफ से श्री उमाशंकर शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व प्रतिवादी सं. 1 की तरफ से श्री अजय कुमार एडवोकेट द्वारा वकालतनामा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी.का पेश किया गया। लेकिन आगामी तारीख पेशीयों पर प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि मेरे पिता विशनाराम का देहान्त हो चुका है व विशनाराम के पिता का नाम स्व. गंगाराम था। इस प्रकार मेरा अथवा मेरे परिवार का कोई सम्बन्ध नहीं होने के कारण प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. व वकालतनामा विड्रा किया गया। प्रार्थी रामलाल का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. व वकालतनामा विड्रा किया गया व वकील वादी द्वार प्रतिवादी सं. 1 की तामिली जरिये अखबार में साया से करवाने का निवेदन किया गया व समन पेश करने पर अखबार में समन साया करवाया गया। निर्धारित तारीख पेशी पर प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित नहीं आने पर उसकी अनुपस्थिति दर्ज की गयी। प्रतिवादी सं. 3 व 4 प्रफॉर्मा पक्षकार होने के कारण उनके जवाब की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली साक्ष्य वादी में लगायी गयी। वादी द्वारा अपना व एक अन्य का साक्ष्य पेश किया गया। वादी ने स्वयं द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों को प्रदर्श करवाया। ग्राम किश्मीदेसर के खसरा नं. 809, 810, 811 व 812 की कुल भूमि 5.34 हेक्टेयर में से 3/4 हिस्सा जेठाराम पुत्र दुर्गा राम से अपने व अपने भाईयों (विजयकुमार व नारायण कुमार) के साथ सयुंक्त रूप से क्रय की गयी, का बैयनामा दिनांक 28.03.2018 प्रदर्श–1 है, जिसपर खरीददार व विक्रेता के हस्ताक्षर है। बैयनामा का राजस्व रिकार्ड इन्तकाल मे दर्ज हुआ की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 3 करवाया गया व जिरह शून्य रही।

5. हमने वाद पत्र व वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। वाद में प्रतिवादी सं 1 अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई व प्रतिवादी सं. 3 व 4 प्रफोमो पक्षकार होने के कारण वादी द्वारा उनसे कोई रिलीफ नही चाही गयी है व अपने हिस्सा 3/4 सयुंक्त खाते की कृषि भूमि प्रतिवादी स. 1 से

विभाजन चाहा गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री ग्राम किश्मीदेसर के खेत खसरा नं. 809 में 1.72 हेक्टेयर, खसरा नं. 810 में 1.29 हेक्टेयर, खसरा नं. 811 में 1.33 हेक्टेयर कुल 5.34 हेक्टेयर कृषि भूमि हेतु बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने की जारी की जाती हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रमाणित फोटो प्रति तहसीलदार (भू.अ.) बीकानेर को इस आशय के साथ भिजवायी जाती है कि वे पक्षकारों को सूचित करते हुए मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव व लगान व नक्शा की दो–दो प्रतियों में प्रेषित करें।

6. निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया व इस न्यायालय की मोहर व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर
बीकानेर शहर

(बिन्दु खत्री)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर
बीकानेर शहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2020.02.03 15:02:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: